न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आशीष गुप्ता, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 02 / 2018
RCMS Case Reg. 2018/00020

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी, तहसीलदार, बांसवाड़ा (राज.)।

–प्रार्थी

बनाम

श्रीमती पार्वतीबाई पत्नी स्व. श्री पन्नालाल पंचाल निवासी मकरानीवाड़ा, बांसवाड़ा।

–प्रत्यर्थी

भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस

निर्णय

दिनांक :– 03–01–2019

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार, बांसवाड़ा द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत रेफरेंस का प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया कि राजस्थान भू–प्रबन्ध (सेटलमेंट) विभाग खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी सन् 1940–41 तहसील बांसवाड़ा के राजस्व ग्राम बांसवाड़ा के खसरा संख्या 2496 / 1394 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा किस्म भूमि "नदी" (राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 16– भूमियां, जिनमें खातेदारी अधिकार प्रादभूत नहीं होंगे) दर्ज थी।

ग्राम बांसवाड़ा का खसरा संख्या 2496 / 1394 रकबा 0.13 बीघा भूमि प्रथम जमाबन्दी सम्वत् 2026–29 में खातेदारी दर्ज रेकार्ड हुइ है, नामान्तरकरण के जरिये दर्ज नहीं हुई है। ग्राम बांसवाड़ा की रोटेशन जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में विवादित खसरा नम्बरान की भूमि

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर बांसवाड़ा

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (राज.)

D.M. Dicision 2016.doc

खाता नम्बर 442 श्रीमती पार्वती बाई के नाम विधि विरूद्ध तरीके से खातेदारी में दर्ज किया गया है। वर्तमान में ग्राम बांसवाड़ा के जमाबन्दी रोटेशन सम्वत् 2070–73 में विवादित खसरा नम्बर 2496/1394 कुल खेत 1 दर्ज है।

भूमि की किस्म ''तालाब'' जो कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के अनुसार वर्जित किस्म होने के कारण ग्राम बांसवाड़ा के खाता संख्या 442 के खसरा नम्बर 2496/1394 भूमि को पूर्णतः विधि विरूद्ध तरिके से खातेदारी के रूप में दर्ज कर दी गई है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित किए गए प्रावधानों के अनुसार वर्जित किस्म की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी हक प्रदान नहीं किए जा सकते।

रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर उक्त खाता नं. 442 खसरा नम्बर 2496/1394 कृषि भूमि खातेदार के नाम से निरस्त की जाकर श्री सरकार दर्ज किए जाने निवेदन किया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी श्रीमती पार्वती बाई निवासी बांसवाड़ा को सम्मन जारी किए गए। नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने के पश्चात भी विपक्षी के अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही का निर्णय लिया गया।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। तहसीलदार, बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में चरण संख्या 1 में राजस्थान भू–प्रबन्ध (सेटलमेंट) विभाग खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी सन् 1940–41 तहसील बांसवाड़ा के राजस्व ग्राम बांसवाड़ा के खसरा संख्या 2496/1394 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा का विवरण अंकित करते हुए जमाबन्दी सम्वत् 1940–41 कठी प्रति प्रस्तुत की गई है, प्रस्तुत जमाबन्दी में खसरा संख्या 2496/1394 अंकित ही नहीं है। इस प्रकार संलग्न जमाबन्दी से प्रस्तुत किए गए प्रकरण में दर्शाए गए खसरा नम्बर की पुष्टि नहीं होती है। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में प्रश्नगत भूमि की किस्म ''नदी'' दर्शाई गई है तथा चरण संख्या 7 में भूमि की किस्म ''तालाब'' दर्शाई गई है, प्रस्तुत किए गए दोनों तथ्यों में भी विरोधाभास है। ऐसी

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर,बांसवाड़ा

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (राज.)

स्थिति में रेफरेंस का यह प्रकरण सुनवाई हेतु राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर को अग्रेषित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में रेफरेंस का यह प्रकरण तहसीलदार, बांसवाड़ा को प्रति–प्रेषित (Remand) किया जाकर निर्देश दिए जाते हैं कि :–

1. प्रकरण में प्रश्नगत भूमि के भू–प्रबन्ध (सेटलमेंट) विभाग खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी सन् 1940–41 में उल्लेखित खसरा नम्बर के अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरण में खसरा नम्बर का अंकन किया जावे।
2. प्रश्नगत भूमि की किस्म का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रकरण तैयार किया जाकर समस्त अभिलेखों सहित इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जावे।
3. रेफरेंस का प्रकरण एक ही फॉरमेट में तैयार किया जाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है, तथा कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिए गए हैं। रेफरेंस का प्रकरण पूर्ण रूप से तैयार किया जाकर प्रारम्भ के खातेदार का नाम, वर्तमान में प्रश्नगत भूमि की मौके की स्थिति, वर्तमान में भूमि पर कब्जे की स्थिति, वर्तमान खातेदार का नाम इत्यादि सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया जाकर प्रस्तुत किया जावे, जिससे विधिवत् रूप से प्रकरण में निर्णय पारित किया जा सके।

निर्णय आज दिनांक 03–01–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर बांसवाड़ा

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (राज.)